अमोल रतन सिंह जे, के समक्ष

निशी भार्गव और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

ज्ञानेश्वर भार्गव और एक अन्य-प्रतिवादीगण

2016 का सी. आर. सं. **8759**

06 दिसंबर, 2018

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-O. 7 Rl.11-**न्यायालय शुल्क अधिनियम, **1870-**धारा **7 (iv) (c)-**संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के माध्यम से कब्जे के लिए वाद में न्यायालय शुल्क का भुगतान-संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के माध्यम से कब्जे के लिए वाद में न्यायालय शुल्क-आयोजित, न्यायालय शुल्क का भुगतान वाद संपत्ति में वादी के हिस्से की सीमा तक किया जाना चाहिए, न कि पूरी संपत्ति के मूल्य तक-विवादित आदेश को दरकिनार/**set aside** कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 7 के खंड (iv) के अंतिम भाग में कहा गया है कि ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है; हालाँकि, जगन्नाथ अमीन के मामले (ऊपर) में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसके साथ पढ़ें. इस प्रभाव के लिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (बी) के तहत अदालत को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वर्तमान मामले में भी वाद संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि वादी द्वारा 1870 के अधिनियम की धारा 7 (iv) (बी) के संदर्भ में भुगतान की जाने वाली फीस का निर्धारण किया जा सके।

(पैरा 34) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन से निपटने के दौरान, उनके अधिपतियों द्वारा (1870 के अधिनियम के संदर्भ में) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए भी, न्यायालय शुल्क और मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल उक्त संपत्ति में वादी के हिस्से की सीमा (अनुपात) तक और पूरी संपत्ति के मूल्य पर नहीं (उपरोक्त निर्णय का संदर्भ पैरा 6)।

(पैरा 35)

विवेक खत्री, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

विनीत चौधरी, प्रतिवादीगण के वकील।

अमोल रतन सिंह, जे

(1) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने विद्वत विचारण न्यायालय (सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हिसार), दिनांक 25.11.2016 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत उनका आवेदन (जिसे इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जिसमें पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे में शिकायत को खारिज करने की मांग की गई है, खारिज कर दिया गया है।

(2) प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा इस आशय की घोषणा करने का अनुरोध करता है कि वह और प्रतिवादी, जिसमें प्रतिवादी भी शामिल हैं (वर्तमान याचिका में एक प्रतिवादी भी), सभी मुकदमे की संपत्ति के अपने-अपने शेयरों के कब्जे में संयुक्त मालिक हैं, जैसा कि वाद में वर्णित किया गया है, वे सभी श्री ईश्वर चंद भार्गव के तत्काल वंशज हैं, (पहला याचिकाकर्ता ईश्वर चंद के तत्काल वंशज की पत्नी है), इसलिए मुकदमे की संपत्ति उन पर समान रूप से हस्तांतरित की गई है।

(3) दावा की गई 'सहायक राहत' यह है कि प्रतिवादी-वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति के विभाजन के बाद इसके विशिष्ट हिस्सों पर कब्जा करने के हकदार हैं.

(4) अंत में, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत मांगी जाती है, जिसमें उन्हें किसी भी तरह से वाद संपत्ति को अलग करने और इसे ध्वस्त करने या उसके ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाने जैसा कि वर्तमान में मौजूद है, से रोकने की मांग की जाती है.

(5) याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों ने संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपने आवेदन में तर्क दिया कि चूंकि वादी भी मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने की मांग कर रहा था, इसलिए वह संपत्ति के मूल्य के अनुसार उस पर अदालत शुल्क, विज्ञापन मूल्य लगाने के लिए बाध्य था।

(6) आवेदन के अपने जवाब में, प्रतिवादी-वादी ने कहा है कि मुकदमा अनिवार्य रूप से संयुक्त स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाला है, और इसके कब्जे का दावा केवल संपत्ति के विभाजन के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

(7) मामले पर विचार करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रत्यर्थी-वादी का तर्क था कि वास्तव में उस प्रभाव के लिए एक विलेख निष्पादित किए जाने के साथ एक पारिवारिक समझौता दिनाक 23.11.1997 को किया गया था, और वह समझौता अंतिम हो गया था, जिसके बाद मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था, और मध्यस्थता पुरस्कार को भी दायर एक नागरिक संशोधन में इस न्यायालय तक बरकरार रखा गया था, (इस न्यायालय के आदेश को दिनांकित 23.02.2016 कहा गया था), मुकदमे के पक्षकार स्पष्ट रूप से सह-हिस्सेदार, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूट संपत्ति के प्रत्येक वर्ग इंच के कब्जे में माना जाता है।

(8) इसलिए, केवल इसलिए कि प्रतिवादियों (वर्तमान याचिकाकर्ताओं) का तर्क था कि प्रतिवादी-वादी हॉलैंड में रह रहा था, उसने वाद भूमि में सह-हिस्सेदार होने की उसकी स्थिति को नहीं खोया और परिणामस्वरूप, ऐसा होने पर, उसे बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क और मूल्य लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

(9) प्रतिवादियों के एक तर्क पर भी निचली अदालत ने ध्यान दिया कि पारिवारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक, यानी श्रीमती. कृष्ण भार्गव ने अपने जीवनकाल के दौरान एक वसीयत दिनांकित 29.11.2002 का निष्पादन किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वादी हॉलैंड का नागरिक था।

(10) इसके बाद, निचली अदालत ने कहा कि मध्यस्थों के फैसले से शुरू होने वाली पिछली याचिका अंतिम हो गई है, प्रतिवादी-वादी और वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित सभी प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति के प्रत्येक इंच पर सह-हिस्सेदार हैं।

(11) उपरोक्त आधारों पर आवेदन खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री विवेक खत्री ने इस अदालत के समक्ष कहा कि प्रतिवादी-वादी ने भी मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने का दावा किया है, इसलिए अदालत की फीस का भुगतान करने की आवश्यकता है जैसा कि इस अदालत की समन्वित पीठों/bench द्वारा(बीर सिंह मेहता बनाम श्याम सिंह और अन्य 1) और(कैलाश देवी बनाम डी. ए. वी. वरिष्ठ माध्यमिक

विद्यालय 2) मामले में किया गया है।

(12) उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया जो (सुहरिद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य 3) और (एल. आर. और अन्य 4 द्वारा जगन्नाथ अमीन बनाम सीताराम (मृत)), उनके तर्क का समर्थन।

(13) उन्होंने इसके एक खंड पीठ के फैसले का भी हवाला दिया।

अदालत ने(तारसेम सिंह और अन्य बनाम विनोद कुमार और अन्य 5)

यह तर्क देना कि न्यायालय शुल्क और मूल्य प्रत्यर्थी-वादी द्वारा देय है।

(14) इसके विपरीत, श्री विनीत चौधरी, दोनों उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील, यानी वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादीगण ने निचली अदालत द्वारा दिए गए तर्क को दोहराया।

1 2009 (4) लॉ हेराल्ड 3046 में

2 2013 (4) पीएलआर 299

3 (2012) 12 एससीसी 112

4 (2007) 1 एस. सी. सी. 694

5 2011 (31) आरसीआर (सिविल) 709

(लेफ्टिनेंट कर्नल हरगोविंद सिंह (सेवानिवृत्त) बनाम श्री हरगुरशरण सिंह 6) और (रघबीर सिंह बनाम सुखविंदर सिंह और अन्य 7) के मामले में इस न्यायालय की समन्वित पीठों/bench का भी दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए विवादित आदेश को यह प्रस्तुत करने के लिए कि वास्तव में अदालत शुल्क और मूल्यांकन, जहां पक्ष सह-भागीदार हैं, वादी द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(15) इस मामले पर विचार करने के बाद, सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पक्ष एक-दूसरे के निकट परिवार हैं, प्रतिवादी न. 1-वादी श्री ईश्वर चंद भार्गव का पुत्र होने के कारण, प्रोफॉर्मा प्रतिवादी-प्रोफॉर्मा प्रतिवादी रितेश्वर भार्गव भी उसी पिता का पुत्र है, यानी वे भाई हैं।

(16) याचिकाकर्ता नं.1-प्रतिवादी नं.1 श्री ईश्वर चंद भार्गव के दिवंगत पुत्र श्री

दिवेश्वर भार्गव की विधवा के रूप में देखी जाती है, जिसमें याचिकाकर्ता नं।2 और 3 उनकी नाबालिग बेटियाँ हैं, यानी स्वर्गीय श्री दिवेश्वर भार्गव की बेटियाँ।इस प्रकार याचिकाकर्ता यहाँ प्रतिवादीगण की साली और भतीजी हैं।

(17) इस न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं किया गया है कि दिनांक 23.11.97 के पारिवारिक समझौते के आधार पर मध्यस्थ का निर्णय अंतिम हो गया है, जिससे वाद भूमि के विभाजन का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा निर्भर वसीयत स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई है।

(18) हालाँकि इस न्यायालय के समक्ष उस मुद्दे पर कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया गया है, हालाँकि यह भी माना जाता है कि श्रीमती कृष्ण भार्गव ने मुकदमे की संपत्ति में अपने हिस्से को किसी भी पक्ष को विशेष रूप से विरासत में दिया, जिस बात से इनकार नहीं किया गया था, वह यह था कि प्रतिवादी-वादी केवल पुरस्कार के संदर्भ में मुकदमे की संपत्ति के विभाजन की मांग कर रहा है और इस तरह केवल अविभाजित संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर रहा है।

(19) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

(20) बलबीर सिंह मेहता के मामले में एक समन्वय बेंच का निर्णय एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां वादी ने ये घोषना करने की मांग थी कि वे और एक व्यक्ति अपने पिता से विरासत में संपति के संयुक्त कबजे में थे अन्य कानून के साथ उतराधिकारी और इस परक I र का उपयोग यथामूल्य न्यायलय शुल्क लगाने की अवश्यकता नहीं थी.

(21) इस न्यायालय (समन्वय पीठ) ने अपने समक्ष दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि एक प्रश्न का निर्णय लेते समय न्यायालय को फीस, न्यायालय को वाद में लगाए गए आरोपों पर गौर करना चाहिए, ताकि उसमें मांगी गई ठोस राहत का निर्धारण किया जा सके, और यदि मांगी गई मुख्य राहत किसी विलेख को रद्द करने के लिए थी, जिसमें केवल 'अधिशेष' की घोषणा की गई थी, तो मामला न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (iv) (c) के तहत शामिल नहीं होगा, क्योंकि मुख्य राहत एक घोषणा की थी और परिणामी राहत केवल सहायक थी।हालाँकि, यदि मांगी गई मुख्य राहत केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि वादी ने कब्जा या बिक्री विलेख को रद्द करने की भी मांग की थी, तो अदालत शुल्क का भुगतान तदनुसार किया जाना था।

(6 2011 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 645)

(7 2017 (4) पी. एल. आर. 735)

(22) कैलाश देवी के मामले (उपरोक्त) में, निचली अदालत ने वादी को मुकदमे की संपत्ति के बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क करने और उसके बाद अदालत शुल्क, विज्ञापन मूल्य लगाने का निर्देश दिया था। उस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि मुकदमा एक ऐसा मुकदमा था जिसमें वादी अपने हिस्से की सीमा59/88 th तक सह-हिस्सेदार होने का दावा करता था।

(23) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि वादी मुकदमे की संपत्ति में अपने हिस्से के कब्जे के विभाजन से राहत की भी मांग कर रही थी, इसलिए उसे संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार अदालत शुल्क, विज्ञापन मूल्य का भुगतान करना था।

(24) जगन्नाथ अमीन के मामले (उपरोक्त) में, जिसे याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा भी उद्धृत किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों पर विचार करने पर पाया कि विचाराधीन मुद्दा वास्तव में यह था कि क्या न्यायालय शुल्क का भुगतान वाद संपत्ति को कृषि भूमि (लेकिन एक घर) के रूप में लेते हुए किया जाना चाहिए या नहीं, निचली अदालत ने यह निर्णय देते हुए कि कृषि संपत्ति पर लागू होने वाले न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना था, और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को बरकरार रखा।

(25) उच्चतम न्यायालय ने पहले के एक फैसले का उल्लेख करते हुए

(सतप्पा चेट्टियार बनाम एस. आर. एम. आर. आर. एम. रामनाथन चेट्टियार 8) वहाँ से इस प्रकार उद्धृत किया गया हैः- "उदाहरण के लिए विभाजन के दावे को लें जहां वादी किसी भी संपत्ति में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को इस आधार पर लागू करना चाहता है कि वह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। दावे का आधार यह है कि जिस संपत्ति के संबंध में एक हिस्से का दावा किया जाता है, वह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। दूसरे शब्दों में, यह वह संपत्ति है जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा होता है। वादी विभाजन के लिए दावा करके जो करने का इरादा रखता है, वह यह है कि वह अदालत से उसे अलग से कुछ निर्दिष्ट संपत्तियां देने के लिए कहे और पूरी संपत्ति में अपने अविभाजित हिस्से के बदले में अपने हिस्से के लिए पूरी तरह से अपने खाते पर। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में वादी

के कथित अविभाजित हिस्से को उसके अलग हिस्से में बदलने का किसी भी सटीकता या निश्चितता के साथ आसानी से रुपये के संदर्भ में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि विधायिका ने अदालत-शुल्क के भुगतान के लिए अपने दावे को महत्व देने का विकल्प वादी पर छोड़ दिया है। इसका वास्तव में यह अर्थ है कि धारा 7 (iv) (b) के तहत आने वाले मुकदमों में वादी द्वारा विभाजन के लिए अपने दावे के मूल्य के रूप में बताई गई राशि को आम तौर पर अदालत द्वारा उक्त राहत के संबंध में देय अदालत-शुल्क की गणना में स्वीकार किया जाना है। इस मामले की परिस्थितियों में इस बात पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या इस धारा के प्रावधानों के तहत वादी को कोई भी मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार या विकल्प दिया गया है।"

(26) उपरोक्त उद्धरण से उद्धृत करने के बाद, जगन्नाथ अमीन के मामले में उनके नेतृत्व ने कहा कि न्यायालय के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 (बी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना मुश्किल होगा, यदि वह दावा की गई राहत का सही मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ था, और इसलिए वह वादी को मूल्यांकन को सही करने का निर्देश नहीं दे पाएगा। इसके बाद तमिलनाडु न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37 (1) का उल्लेख करते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

"जब तक किसी हिस्से पर उसका अधिकार और संयुक्त रूप से संपत्ति की प्रकृति विवादित नहीं है, तब तक कानून यह मानता है कि वह संयुक्त कब्जे में है जब तक कि उसे इस तरह के कब्जे से बाहर नहीं रखा जाता है। इससे पहले कि वादी को अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत इस आधार पर अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाया जा सके कि उन्हें कब्जे से बाहर रखा गया था, यह आवश्यक है कि शिकायत को पढ़ने पर, शिकायत में एक स्पष्ट और विशिष्ट दावा होना चाहिए कि उन्हें संयुक्त कब्जे से "बाहर" रखा गया था, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। वादपत्र में यह कथन कि वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकता क्योंकि उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति से कोई आय नहीं दी गई थी, उसे कब्जे से बाहर रखने के बराबर नहीं होगा। हम वाद में एक स्पष्ट और विशिष्ट स्वीकारोक्ति को पढ़ने में असमर्थ हैं कि वादी को कब्जे से बाहर रखा गया था।"

(8 1958 एससीआर 1024)

(27) वर्तमान मामले में प्रतिवादी-वादी के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों पर आते हुए, रघबीर सिंह के मामले (उपरोक्त) में, (आसा राम बनाम जगन नाथ 9) में लाहौर उच्च

न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख करते हुए और(राजीव कुमार बनाम राकेश कुमार 10) में एक और हालिया फैसले का भी उल्लेख करते हुए एक समन्वय पीठ ने कहा कि जहां यह विभाजन का मुकदमा है, वादी के कब्जे में होने का दावा करने के साथ, कोई अदालत शुल्क, विज्ञापन मूल्य, चिपकाने की आवश्यकता नहीं है।

(28) इसी तरह, (सुरिंदर सिंह बनाम परविंदर सिंह और अन्य 11) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह-हिस्सेदारों के मामले में, प्रत्येक सह-हिस्सेदार को भूमि के प्रत्येक इंच का कब्जा तब तक माना जाएगा जब तक कि उसे सीमा और सीमा द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है और इसलिए, सुहरिद सिंह के मामले (ऊपर) (सर्वोच्च न्यायालय के) का उल्लेख करते हुए भी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अदालत का शुल्क केवल रु। 19.50 का भुगतान न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है।

(29) मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह देखा जाता है कि जगन्नाथ अमीन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सतप्पा चेट्टियार के मामले (उपरोक्त) के फैसले के अलावा, वर्तमान मामले में इस न्यायालय के समक्ष उद्धृत अन्य किसी भी फैसले में वास्तव में न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (iv) (बी) का उल्लेख नहीं है।

(30) इस न्यायालय की राय में, किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले उस प्रावधान को देखना एक बुनियादी पूर्व-आवश्यकता होगी जहां विभाजन और पारिवारिक संपत्ति का विशिष्ट कब्जा मांगा जाता है।

(31) नतीजतन, उस अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"7. कुछ मुकदमों में देय शुल्क की गणना।-इसके बाद उल्लिखित मुकदमों में इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः-"

XXXXXXXXXXXXX

((iv) सूट में/civil suit -

(क) बिना बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए:- जहां विषय वस्तु का कोई बाजार

मूल्य नहीं है, उदाहरण के लिए, स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के मामले में,

9 ए. आई. आर. 1934 लाहौर 563

10 2015 (4) पीएलआर 191

11 2018 (1) लॉ हेराल्ड 47

(ख) संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करना:-

किसी भी संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को इस आधार पर लागू करना कि वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है,

(ग) एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए:-

एक घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करें, जहां परिणामी राहत की प्रार्थना की जाती है,

XXXXXXXXXXXXX

उस राशि के अनुसार जिस पर मांगी गई राहत का मूल्यांकन शिकायत या अपील के ज्ञापन में किया जाता है।

ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है।

XXXXXXXXXXXXX

(32) उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में, इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि प्रतिवादी-वादी न केवल एक घोषणात्मक डिक्री चाहता है, बल्कि अनन्य कब्जे की परिणामी राहत भी चाहता है और इसलिए यह धारा 7 के खंड (iv) का उपखंड (सी) होगा जो लागू होगा, एक ऐसा विवाद नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वादी वास्तव में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्से का अधिकार चाहता है, उक्त संपत्ति उसके और उसके भाई-बहनों को उनके पिता से हस्तांतरित कर दी गई है, और परिणामस्वरूप यह धारा 7 के खंड (iv) का उपखंड (वी) होगा जो लागू होगा।

(33) किसी भी तरह से, वादी द्वारा देय न्यायालय शुल्क निर्धारित करने के लिए वाद संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(34) निस्संदेह, धारा 7 के खंड (iv) के अंतिम भाग में कहा गया है कि ऐसे सभी मुकदमों में वादी उस राशि का उल्लेख करेगा जिस पर वह मांगी गई राहत को महत्व देता है; हालाँकि, जगन्नाथ अमीन के मामले (उपरोक्त) में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसके साथ पढ़ें (हालाँकि तमिलनाडु न्यायालय शुल्क अधिनियम के एक प्रावधान के साथ व्यवहार करते हुए), इस प्रभाव से कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (बी) के तहत अदालत को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वर्तमान मामले में भी वाद संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि अधिनियम 1870 की धारा 7 (iv) (बी) के संदर्भ में वादी द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस का निर्धारण किया जा सके।

(35) यह विशेष रूप से किन्नी कपूर और एक अन्य बनाम गुनवीर कपूर और अन्य लॉ फाइंडर दस्तवेज़ आईडी #902650 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए है, जिसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन से निपटने के दौरान, यह उनके लॉर्डशिप्स द्वारा (1870 के अधिनियम के संदर्भ में) अभिनिर्धारित किया गया था कि संयुक्त परिवार के संपत्ति विभाजन के लिए भी , न्यायालय शुल्क और मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल उक्त संपत्ति में वादी के हिस्से की सीमा (अनुपात) तक और पूरी संपत्ति के मूल्य पर नहीं (उपरोक्त निर्णय का संदर्भ अनुच्छेद 6)। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार उद्धृत किया गया हैः-

> “वादी को विचाराधीन संपत्ति में अपने हिस्से के अनुसार देय विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होता है।उच्च न्यायालय ने पूरे मुकदमे की संपत्ति के मूल्यांकन पर अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए कहने में कानूनी रूप से गलती की है, वादी शेष 7/9 वें हिस्से में ब्याज का दावा नहीं कर रहे हैं।इस प्रकार उन्हें शेष 7/9 वें हिस्से के संबंध में न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।”

(36) इस प्रकार, हालांकि, सैद्धांतिक रूप से मैं रघबीर सिंह और सुरिंदर सिंह के मामलों (उपरोक्त) में समन्वय पीठों/bench के फैसलों से इस हद तक सहमत हूं कि जब कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति में सह-हिस्सेदार होता है, तो उसे (अन्य सभी सह-हिस्सेदारों के साथ) उसके प्रत्येक वर्ग इंच का कब्जा माना जाता है, हालांकि, धारा 7 (iv) (बी) विशेष रूप से संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी संपत्ति में हिस्से के अधिकार को लागू करने के लिए, संपत्ति का

मूल्यांकन वादी द्वारा किया जाना चाहिए, और जगन्नाथ अमीन के मामले में, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मेरी राय में, विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सका हलांकि हमें दिए गए तर्क रघुबीर सिंह और सुरिंदर सिंह के मामले के निर्णयों के अनुरूप होंगे.

(37) फिर भी, वैधानिक प्रावधान के साथ जैसा कि यह धारा 7 के खंड (iv) के उपखंड (बी) में है, कपूर के मामले (ऊपर) में भी दी गई व्याख्या के साथ, प्रतिवादी नं। 1 (वादी) को उसके मूल्यांकन के बाद संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति में उसके द्वारा दावा किए गए हिस्से की सीमा तक अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

(38) नतीजतन, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसमें निचली अदालत को इस मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है कि वादी संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य है, लेकिन केवल उस क्षेत्र की सीमा तक जो उसमें अपने हिस्से के रूप में दावा किया गया है।

सुमती जुंद

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा ।

अनुवादक

गरिमा गिलानी